न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 02/2020 जिला अलवर ।

1. अशोक कुमार पुत्र पितराम जाति खटीक निवासी ग्राम कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान।

अपीलान्ट्

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर दिनांक 24.05.2018 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री उमाशंकर खण्डेलवाल।

निर्णय

दिनांक–30.03.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 24.05.2018 के खिलाफ दिनांक 13.06.2018 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा शीर्षक अपील अशोक बनाम तहसीलदार कठूमर में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2018 के द्वारा अपील को अस्वीकार किया गया।
3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2018 तथा तहसीलदार कठूमर जिला अलवर का निर्णय दिनांक 07.12.2017 प्रकरण संख्या 31/2017 अन्तर्गत धारा 91(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अपास्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट् उपस्थित। बरवक्त बहस राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट् की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1080 वाके ग्राम कठूमर गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में किसी भी रकबे पर कोई घूडा डाल कर या अन्य किसी प्रकार से अतिक्रमण नही कर रखा है बल्कि उक्त आराजी के पास ही अपीलांट् के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1365 रकबा 85 ऐयर वाके ग्राम कठूमर स्थित है। अपीलांट् अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर ही काबिज है और काश्त कर रहा है परन्तु पटवारी हल्का द्वारा उक्त रिपोर्ट महज द्वेष भावना से प्रेरित होकर प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

अपीलांट् ने उक्त आराजी की बंदोबस्त विभाग से पैमाइश कराये जाने का निवेदन किया किन्तु बंदोबस्त विभाग से पैमाईश नही कराई गई जबकि पर्चा मौका सीमाज्ञान दिनांक 19.06.2017 के मुताबिक बंदोबस्त विभाग से पैमाईश कराने की सिफारिश भी की गई है। विवादित आराजी बाबत एक सिविल वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश क0ख0 कठूमर जिला अलवर के समक्ष विचाराधीन है परन्तु उसके बावजूद भी तहसीलदार कठूमर द्वारा आलौच्य आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2018 तथा तहसीलदार कठूमर जिला अलवर का निर्णय दिनांक 07.12.2017 प्रकरण संख्या 31/2017 अन्तर्गत धारा 91(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

6. प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट् के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर एवं न्यायालय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि न्यायालय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर के समक्ष पटवारी हल्का कठूमर द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि गैरसायल (वर्तमान अपीलांट्) ने ग्राम कठूमर की आराजी खसरा नम्बर 1080 रकबा 1.01 है. किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि में से 1250 वर्ग फुट पर घूडा डाल कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिस पर न्यायालय तहसीलदार कठूमर द्वारा प्रकरण संख्या 31/2017 दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) को तलब किया गया तथा प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर ने दिनांक 07.12.2017 को निर्णय पारित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(2) के तहत गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) को पश्चातवर्ती अतिक्रर्मी घोषित करते हुये तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित रकबे से बेदखल करने व वार्षिक लगान 0.10 रूपये का 50 गुणा 5/—रूपया शास्ति आरोपित किये जाने का आदेश जारी किया। उक्त आदेश के विरूद्ध गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) ने प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर में प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा शीर्षक अपील अशोक बनाम तहसीलदार कठूमर में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.05.2018 पारित कर अपील अस्वीकार की जाकर तहसीलदार कठूमर के निर्णय दिनांक 07.12.2017 को यथावत रखा गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट् द्वारा ग्राम कठूमर की आराजी खसरा नम्बर 1080 रकबा 1.01 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि में से 1250 वर्ग फुट पर घूडा डाल कर पश्चातवर्ती अतिकमण किया गया है। अपीलांट को पूर्व में अतिकमण किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 30.10.2017 को मौके से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः अतिक्रमण कर दिये जाने से तहसीलदार कठूमर द्वारा दिनांक 07.12.2017 को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(2) के तहत सिविल कारावास, बेदखल एवं शास्ती के आदेश पारित किये गये है। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2018 पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि उनका वादग्रस्त भूमि पर कोई भी अतिक्रमण नही है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय कर पत्रावली पर पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संलग्न है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अपीलांट् का अतिक्रमण यथावत है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित विधिक प्रक्रिया के तहत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल नही होने से अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट् खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

9. निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner